

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.भोपाल


दिनांक 13.05.2017

// प्रेस विज्ञप्ति //

माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी परीक्षाये वर्ष 2017 के परीक्षा परिणाम दिनांक 12.05.2017 को घोषित किया गया है। मण्डल में विनियम में विहित प्रावधानों के अनुसार मण्डल परीक्षाओं के घोषित परीक्षा परिणाम के प्राप्तांकों से असंतुष्ट छात्र/छात्राओं द्वारा अंकों का पुर्नगणना कराने का प्रावधान है साथ ही छात्र/छात्राये अपनी उत्तरपुस्तिकाओं की छायाप्रतियां भी प्राप्त कर सकते हैं। इस संबंध में विस्तृत निर्देश मण्डल की वेब साईट //www.mpbse.nic.in// पर भी उपलब्ध हैं।

अंकों की पुर्नगणना एवं उत्तरपुस्तिकाओं की छायाप्रति प्राप्त करने हेतु छात्र/छात्राये एम.पी.ऑन लाईन अथवा एम.पी.बी.एस.ई. एप के माध्यम से आवेदन परीक्षा परिणाम घोषणा की तिथि से 15 दिवस तक कर सकते हैं। पुर्नगणना/उत्तरपुस्तिकाओं की छायाप्रति प्राप्त करने की अंतिम तिथि के 10 दिवस पश्चात पुर्नगणना के परिणाम एम.पी.ऑन लाईन/एम.पी.बी.एस.ई.एप के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं तथा उत्तरपुस्तिकाओं की छायाप्रति आवेदन करने की अंतिम तिथि के 25 दिवस पश्चात छात्र को आवेदन में अंकित पते पर डाक के माध्यम से उपलब्ध होगी। उ.पु. की छायाप्रति प्राप्त करने वाले छात्र को पुर्नगणना का आवेदन करना अनिवार्य होगा। पुर्नगणना हेतु प्रति विषय शुल्क 200/- एवं उत्तरपुस्तिकाओं की छायाप्रति हेतु प्रति विषय 500/- रुपये एम.पी.ऑन लाईन/एम.पी.बी.एस.ई. एप के माध्यम से जमा करना अनिवार्य होगा।

अतः मण्डल द्वारा आयोजित परीक्षाये वर्ष 2017 में सम्मिलित ऐसे छात्र/छात्राये जो अपने परिणाम/प्राप्तांकों से असंतुष्ट है वह छात्र इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही छात्रों की सुविधा के लिये मण्डल की हेल्प लाईन सेवा भी सतत प्रारंभ है। छात्र प्रातः 8:00 बजे से रात्री 08:00 बजे तक टोल फ्री नम्बर 18002330175 तथा दूरभाष क्रमांक 0755-2570248, 0755-2570258 मोबाईल नम्बर 9424495483, 9424495482 पर अपनी समस्याओं हेतु इस सुविधा का भी लाभ उठा सकते हैं।


परीक्षा नियंत्रक
माध्यमिक शिक्षा मण्डल
म.प्र.भोपाल



माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

ई-मेल : mpbse@mp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in

कार्या :- (0755) 2551166 (PBX no111)

क्रमांक/गोपनीय/132/2017

भोपाल, दिनांक 12/05/2017

प्रति

समस्त प्राचार्य/मूल्यांकन अधिकारी
मण्डल परीक्षा वर्ष 2017,
मध्यप्रदेश।

विषय:- हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी/हा.से.व्या. परीक्षाओं की उत्तरपुस्तिकाओं के अंक सत्यापन एवं उत्तरपुस्तिकाओं की छायाप्रति प्रदान करने विषयक।

संदर्भ:- मा.शि. मण्डल का आदेश पत्र क्रमांक/गोपनीय/1135/2013, भोपाल, दिनांक 17/12/2013

--XX--

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मण्डल द्वारा संचालित वर्ष 2017 की हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी/हा.से.व्या. परीक्षाओं की उत्तरपुस्तिकाओं के अंक सत्यापन एवं उत्तरपुस्तिकाओं की छायाप्रति प्रदान करने संबंधी समस्त प्रक्रिया मण्डल द्वारा जारी आदेश क्रमांक/गोपनीय/1135/2013, भोपाल, दिनांक 17/12/2013 अनुसार सम्पन्न कराना सुनिश्चित करें।

अध्यक्ष की आज्ञा से।

संलग्न:-पूर्व प्रसारित आदेश।

परीक्षा नियंत्रक

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

म.प्र.भोपाल

भोपाल, दिनांक 12/5/2017

पृ.क्र./गोपनीय/133/2017

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव-अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.भोपाल
2. अतिरिक्त सचिव/परीक्षा नियंत्रक, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल
3. समस्त, अपर संचालक लोक शिक्षण, संभागीय मुख्यालय, मध्यप्रदेश।
4. अपर संचालक, वित्त, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल, म.प्र. की ओर भेजकर लिखा जाता है कि संबंधित मूल्यांकन केन्द्रों को छायाप्रतियां एवं पुर्नगणना कार्य सम्पन्न कराने हेतु आवश्यक धन राशि छात्रों के आवेदन प्राप्त होने की अन्तिम तिथि के दूसरे दिन डाटा कक्ष से प्राप्त कर वास्तविक राशि की गणना कर कार्यदिवस के चौथे दिन मूल्यांकन अधिकारियों को राशि भेजी जावे।
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, म.प्र.।
6. आंचलिक/समस्त संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय मा.शि.म.मध्यप्रदेश।
7. समस्त प्रथम श्रेणी अधिकारी/सहायक सचिव/कक्षाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल, म.प्र की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

परीक्षा नियंत्रक

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

मध्यप्रदेश भोपाल

कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

ई-मेल : mpbse@mp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in

कार्या :-(0755) 2551166 (PBX No. 111)

क्रमांक/गोपनीय/11/12/2013

भोपाल, दिनांक 17/12/2013

// आदेश //

प्रतिवर्ष मण्डल परीक्षाओं की अमूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन उपरांत परीक्षा परिणाम घोषित किये जाते हैं, मण्डल विनियम 1965 पैरा 119 के अनुसार घोषित परीक्षा परिणाम के प्राप्तांको से असंतुष्ट होकर छात्र/छात्राओं द्वारा अंको के पुनर्गणना के सशुल्क प्राप्त आवेदन उपरांत आवेदनकर्त्ता छात्र/छात्राओं की उत्तरपुस्तिका में प्राप्त अंको की योग त्रुटि व अमूल्यांकित प्रश्नों के परीक्षण किये जाते हैं।

गत वर्षों में पुनर्गणना के प्राप्त आवेदनों के अनुसार प्रकरणों का परीक्षण प्रदेश के सभी जिलों में स्थापित मूल्यांकन केन्द्रों पर ही मूल्यांकन अधिकारियों के मार्गदर्शन में पुनर्गणना करवाई जाती रही है, किन्तु प्रतिवर्ष ऐसे प्रकरण प्राप्त होते रहे हैं, जिनमें मूल्यांकन में की गई त्रुटियों को पुनर्गणना में भी अनदेखा कर छात्रों को नो चेंज की सूचना भेज दी गई। जिन्हें छात्रों द्वारा उत्तरपुस्तिका छायाप्रति प्राप्त करने के उपरांत मण्डल को त्रुटि से अवगत कराये जाने पर परीक्षण में यह पाया गया कि छात्र के अंको के योग में त्रुटि व अमूल्यांकित प्रश्न पाये गये हैं। जैसे अनुक्रमांक 224422652 के विषय रसायन शास्त्र में प्रथमतः छात्रा के आवेदन के विपरीत किसी छात्र की उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति मूल्यांकन केन्द्र द्वारा प्रेषित की गई, जहाँ छात्रा ने मण्डल को त्रुटि से अवगत कराते हुए आवेदन करने पर उसकी वास्तविक उत्तरपुस्तिका का छायाप्रति भेजी गई, जिससे असंतुष्ट होकर छात्रा द्वारा माननीय उच्चन्यायालय इन्दौर खण्डपीठ में वार क्र. 8594/12 मण्डल के विरुद्ध दायर किया गया, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा त्रुटि हेतु रुपये 50,00/- आर्थिक दण्ड अधिरोपित किया गया। इसी प्रकार वार क्र. 12300/2013 के अनुक्रमांक 23816055 विषय- सा. हिन्दी की मूल उत्तरपुस्तिका में परीक्षक द्वारा 90 अंक प्रदान किये गये थे, किन्तु ओ.एम.आर.शीट में त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि की गई जिसमें छात्रा को 75 अंक प्राप्त हुए। छात्रा द्वारा पुनर्गणना एवं उ.पु. की छायाप्रति हेतु नियमानुसार आवेदन किया गया, जिसमें मूल्यांकन केन्द्र द्वारा त्रुटि कहे हुये नो चेंज की सूचना छात्रा को भेजी गई, छात्रा को उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति मूल्यांकन केन्द्र से प्राप्त हुई जिसमें 90 अंक प्राप्त थे, इस आधार पर छात्रा ने माननीय उच्चन्यायालय जबलपुर में मण्डल के विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया, जिसमें रुपये 1,00,000/- (एक लाख रुपये मात्र) का आर्थिक दण्ड मण्डल पर अधिरोपित किया गया साथ ही छात्रा का जे.ई.ई. मुख्य परीक्षा 2013 में कुल प्राप्तांको के आधार पर चयन नहीं हो सका। इस प्रकार के अनेको प्रकरणों में मा0शि0मण्डल के साथ ही शिक्षकों की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगते रहे हैं।

उपरोक्त प्रकरणों को दृष्टिगत रखते हुये मण्डल परीक्षाओं के पुनर्गणना व उत्तरपुस्तिका की छायाप्रतियों के प्रेषण में त्रुटि रहित निराकरण हेतु पूर्व प्रसारित नियमों में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

(अ) पुनर्गणना एवं उत्तर पुस्तिका की छायाप्रति प्राप्त करने की समयावधि, प्रक्रिया एवं शुल्क-

1- परीक्षा परिणाम घोषणा की तिथि से 15 दिवस की अवधि में पुनर्गणना एवं उत्तरपुस्तिका की छायाप्रतियां प्राप्त करने के आवेदन केवल एम.पी.ऑनलाईन कियोस्क/एम.पी.ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से ही ऑनलाईन स्वीकार किये जायेंगे। किसी भी स्थिति में हस्तलिखित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

2- उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति प्राप्त करने वाले छात्रों को पुनर्गणना कराना इसलिए अनिवार्य किया जाता है। उत्तरपुस्तिका छायाप्रतियों के आवेदित प्रकरणों में अंक योग की त्रुटि या अमूल्यांकित प्रश्न होने की स्थिति में प्रकरणों में उत्तरपुस्तिका छायाप्रति प्रेषित करने के पूर्व ही त्रुटि का सुधार अनिवार्य रूप से किया जाये।

3- शुल्क का विवरण-

क्र.	कार्य का विवरण	शुल्क
1	पुनर्गणना हेतु	रुपये 200/- प्रति विषय
2	उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति हेतु	रुपये 500/- प्रति विषय

